प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 54/2026)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "भारत में पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज **"भारत में पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का प्रसार"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. यह परामर्श पत्र मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा करने, पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार को प्रभावित करने वाली चुनौतियों की पहचान करने और देश भर में पब्लिक वाई-फाई बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के उपायों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करता है। परामर्श पत्र में शामिल प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:

- अन्य देशों में पब्लिक वाई-फाई प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अवलोकन।
- भारत में पब्लिक वाई-फाई की वर्तमान स्थिति का आकलन, जिसमें वाई-फाई तैनाती के रुझान और मांग पैटर्न शामिल हैं।
- देश में पब्लिक वाई-फाई प्रसार को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी केंद्रों और अधिक भीड़ वाले स्थानों पर प्रयोग में आने वाले पब्लिक वाई-फाई मॉडल विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, टीएसपी/आईएसपी और निजी संस्थाओं जैसे प्रमुख हितधारकों की भूमिकाओं की जांच करना।
- भारतीय पब्लिक वाई-फाई ईकोसिस्टम में ऑथराईजेशन, ऑथेन्टीकैशन, रोमिंग और बिलिंग सिस्टम से संबंधित मुद्दों की जांच।
- भारतीय संदर्भ में पब्लिक वाई-फाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व मॉडल का विश्लेषण।

3. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां **25 मई 2026** तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो, **8 जून 2026** तक आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां को advbbpa@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता हैं, और उसकी प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in को भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, डॉ. अब्दुल कयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11 20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 27/4/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा